

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जा कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार दुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनीवरिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/महा.वि.प./2011/ 3550

दिनांक: 30/07/11

// अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में परिनियम 28(भाग-3) की धारा 6(1)(सी) के अन्वर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक (30) के (अ-अ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-

महाविद्यालय का नाम : फ्लोरेन्स नाईट ऐंगल नर्सिंग महाविद्यालय, शिवपुरी लिंक रोड, ग्वालियर

मनोनीत सदस्य : 1. डॉ. ए.के. गुप्ता, शासकीय महाविद्यालय, आलमपुर

2. डॉ. एस.के. मिश्रा, शासकीय महाविद्यालय, मुमैना

उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

अधिष्ठाता
महाविद्यालयीन विकास परिषद

प्रतिलिपि:-

- सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ।
- प्राचार्य, फ्लोरेन्स नाईट ऐंगल नर्सिंग महाविद्यालय, शिवपुरी लिंक रोड, ग्वालियर की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का ठी.ए./डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

अधिष्ठाता
महाविद्यालयीन विकास परिषद

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समर्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जा कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बोधित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (विवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2011/4210

दिनांक : 14/12/11

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 01 नवम्बर, 2011 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार फ्लोरेंस नाईट एंगल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर को सत्र 2010-11 के लिये प्रस्तावित संचालित बी.एस-सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. दो शैक्षणिक (सहा. प्राध्यापक) एक क्रीडाधिकारी एवं एक पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति परिनियम 28(17) के अंतर्गत आई.एन.सी. के नोर्मस के अनुसार की जावे।
2. पुस्तकालय में नर्सिंग पाठ्यक्रम से सम्बंधी तीन लाख रु. की किताबें क्रय की जायें।
3. छात्रों हेतु एक रीडिंग रूम तथा महिला एवं पुरुष कॉमन रूम विकसित किया जावे।

आदेशानुसार
अधिकारी
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, फ्लोरेंस नाईट एंगल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर।
2. सचिव, इण्डियन नर्सिंग कॉमिटी, ऐम्पल लैन, कोट्ला मार्ग, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचलार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Roll
सहा. कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र अवश्यक कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के बाज से ही किया जावे व
कि किसी अन्य पदाधिकारी के बाज से ही।
सम्बन्धित विषय पर वहि पूर्व में सब
व्यवसाय हुआ हो तो एवं फ्रेग्राम एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



प्राप्ति : जीवाजी विश्वविद्यालय
दरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्टरी : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/**5107 5131**

दिनांक: **25/7/12**

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध प्लोरेन्स नाईट ऐंगल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर (0751-2436601) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एस-सी. नर्सिंग, पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिवियम 1973 के परिवियम 27(10) के अन्वर्गत लिम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. बाय.के. जैसवाल, आचार्य, जैव रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442841)
- (2) डॉ. राज कुमार आर्य, आचार्य, जी.आर.एम.सी., कॉलेज, ग्वालियर।
- (3) डॉ. वीरेन्द्र वर्मा, आचार्य, जी.आर. मेडीकल कॉलेज, ग्वालियर।
- (4) डॉ. सुखदा शर्मा, प्राचार्य, जी.आई.एम.आर. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्ट्रॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुबापति प्रमाण-पत्र, भवन, ब्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईबीएस तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति यथा प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्ट्रॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से निरेवन है कि वे उक्त विधारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देसी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बही कहता है तो समिति स्वतः निरस्त हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु गहाविद्यालय को दण्ड रुपरुप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुर्वगठन किया जायेगा। परिवियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए जिन छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाला में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पञ्चाली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की प्रस्तुतियां से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / डी.ए. / गावदेव महाविद्यालय द्वारा देय होंगी।

3 m/s
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक विधारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप. कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

लग्नात पर लक्षणात् शूलादिक वीक्षणी
विशेषितात् के जल ते किए जाये व
कि फिरी अन्य व्याख्यातारी के जल हो।



ਗੁਰੂ : ਪ੍ਰਮਿਲੀ
 ਫੋਨ : (0751) 2341595
 (0751) 2442824
 ਫੈਸ਼ਨ : (0751) 2341760

प्रेषक :
कूलतर्तिव,
जीवानी विश्वविद्यालय
मानिय
दुर्गापुरा, सन् २००९/ ५३६७

Page 16/10/12

॥ सर्ववा ॥

जीवाजी विश्वविद्यालय, व्याख्यान दे सरबज फॉनेस बाईट ट्रैकल कॉलेज, व्यालिंगर (0751-9428600) का तब 2011-12 के लिये प्रत्यावित/उंचावित पोर्ट ब्रैसिक बी-एस-डी. नर्सिंग प्रवर्ग वर्ष पाठ्यक्रम कक्षा शास्त्रज्ञान विषयों की अध्यात्मी सम्बद्धता हेतु अख्यानात् प्रदान करने के लिये जानकीय कुलपति महोदय अस्याधी उमीदेवी, जीवाजी विश्वविद्यालय उपरियोग ने विश्वविद्यालय अधिकारियम 1973 के परिवर्तन 27(10) के अन्वर्गत विकासव्यापार नियमानुसार समिति कर लाना किया है।

।। १० ग्रन्थ के अनुवाल आचार्य, जैर साधन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. व्हालियर।

(खंड) छन्द

मुझेंतो कल्पना तर पत्र प्राप्त होने के बाद विरीक्षण में की गई देटे के लिए गतविधालय स्वयं उत्तमतायी होगा। जिसकी सूचना आगुन्तु, उच्च विकास, शोपाल को भेज दी जाएगी। यहि महाविधालय 03 माह गें विरीक्षण बढ़ी करता है तो उभिति वर्ष विद्युत हो जाएगी और युक्ति विरीक्षण संसिद्धि कल्पना तरु गतविधालय को एक स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने दीजे। तत्परतापूर्ण ही विरीक्षण अधिकारी का प्रबल लिखा जाएगा। परिनियम 27(1)(7) के अनुसार सम्बन्धित प्राप्त विज्ञा छात्रों को प्रवेश देता अव्याधिक है।

विस्तृति का पुनर्जनन लाभ आया। विस्तृति के सभी फलों का अध्ययन करने के द्वारा इसका अधिक विश्लेषण किया जा सकता है।

3 min, B
कृत्यान्वय

-88-

- प्रतीक्षाएः—**

 - ग्रामस्त वसद्यों की ओर सूर्यनार्थ १५ अवश्यकता वर्णियाई देते।
 - ग्रामीय/अधिकारी, सम्पर्कित महानिवालय की ओर भेजकर आज्ञा है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित जरूर जिटीज्ञान प्रियांक दियारित कर महानिवालय का दिग्गजांकन करायें, उक्त जिटीज्ञान १५ दिवाल के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
 - आयुपात्र उच्च शिक्षा, सततुरा भवन, औपाल
 - कुलालियासिमा, जीवाजी विश्वविद्यालय, झजलियर
 - कुलपति के समिति / कृनायिवेद के लिए उल्लेख, जीवाजी विश्वविद्यालय, झजलियर

अ. कालसंचित (प्रम्बन्धता)